

गतिशील प्रावधानीकरण की अंतर्निहित अवधारणाएं और सिद्धांत* बी. महापात्र

इस सम्मेलन में मुझे आमंत्रित करने और गतिशील प्रावधानीकरण के अंतर्निहित विचार और सिद्धांत विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए अवसर देने हेतु मैं आभारी हूँ। इस विषय पर एक चर्चा पत्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मार्च 2012 में प्रकाशित किया गया था। हम लोग बैंकों और अन्य हितधारकों से प्राप्त सुझावों की जांच कर रहे हैं और इसे अंतिम रूप देने में अभी थोड़ा और समय लग सकता है।

प्रावधान क्यों किया जाता है?

2. मैं अपनी बात इस प्रश्न के साथ शुरू करता हूँ कि प्रावधान क्यों किया जाता है? मेरी अवधारणा के अनुसार प्रावधान एक लेखा अवधारणा है। लेखा मानकों के अनुसार प्रावधान ऐसी अनिश्चित अवधि या राशि की देयता है जिसकी माप मात्र प्राक्कलन की प्रत्याप्त मात्रा का इस्तेमाल करके की जा सकती है। 'प्रावधान शब्द' का प्रयोग मूल्यहास, आस्तियों की क्षति और संदिग्ध ऋणों के संदर्भ में भी किया जाता है: ये आस्तियों की निहित राशियों के समायोजन होते हैं।

3. प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर किसी भी संस्था के लिए यह जरूरी है कि वह इस बात का मूल्यांकन करे कि क्या किसी आस्ति के मूल्य में कमी के कोई ठोस प्रमाण हैं और क्या देयता को संसाधनों के बहिर्वाह में शामिल किसी बाध्यता के निपटान हेतु चिह्नित करने की जरूरत है। इस प्रकार के मामले में, राशि रिपोर्टिंग अवधि के लिए लाभ-हानि खाते में चिह्नित की जानी चाहिए। इससे निर्धारित अवधि के लिए सही और निष्पक्ष वित्तीय स्थिति प्रस्तुत की जा सकती है। यही लेखा प्रणाली का उद्देश्य होता है।

4. संस्थाओं में कम प्रावधानीकरण के प्रोत्साहन होते हैं क्योंकि :

- सामान्यतः यह अनेक क्षेत्राधिकारों में पूर्ण रूप से कर कटौती योग्य नहीं है।

* मुम्बई में 21 सितंबर 2012 को उन्नत वित्तीय अनुसंधान और अध्ययन केन्द्र द्वारा भारत में बैंकों के लिए गतिशील प्रावधानीकरण ढांचे की शुरुआत विषय पर आयोजित सम्मेलन में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री बी. महापात्रा द्वारा दिया गया भाषण। श्रीमती उषा जानकीरमण और श्रीमती तारिका सिंह द्वारा दिए गए सहयोग के लिए प्रति आभारी हैं।

- अनेक कारोबारी कार्यपालक बढ़े हुए लाभ को दर्शाने की अल्पावधि समीक्षा करते हैं। अधिक प्रावधान करने से लाभ कम होता है और इसी तरह लाभांश वितरण और शेयर मूल्य भी कम हो जाते हैं, और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि उच्च प्रबंधन और स्टाफ को बोनस का कम भुगतान करना पड़ता है।

5. यह बात बैंकों के लिए भी अच्छी है। किंतु, बैंकिंग कारोबार इस मुद्दे पर दूसरा पहलू जोड़ता है, अर्थात् अनुचक्रीयता। बैंक कारोबारी गतिविधियों से अधिक संबद्ध होते हैं। अनुकूल स्थितियों में, ऋण की मांग रहती है और बैंक ऋण मानकों को तेजी से खोते जाते हैं। कर्जदार भी अच्छा कार्य करते हैं और समय रहते ऋण की चुकौती करते हैं। ऋण की हानि की दर दीर्घकालिक औसत से कम है और ऋण हानि के लिए प्रावधान की आवश्यकता कम है। इसलिए, तेजी के दौरान ऋण हानि के लिए प्रावधान आम तौर पर कम किया जाता है।

6. जब कारोबार चक्र में बदलाव होता है और आर्थिक स्थितियों में गिरावट आती है, तो उधारकर्ताओं की ऋण गुणवत्ता प्रभावित होती है जिसके चलते ब्याज और मूल धनराशि की चुकौती में चूक होने की संभावना अधिक होती है। इस प्रकार के ऋण अनर्जक आस्तियों में तब्दील हो जाते हैं। बैंक का लाभ कम हो जाता है किन्तु उसी समय बैंकों को अनर्जक ऋणों के लिए बहुत अधिक प्रावधान करना पड़ता है। यह ऋण हानि का चक्रीय गुण है। इससे बैंक सावधान हो जाते हैं और ऋण देना कम कर देते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि जोखिम अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्र तक फैल जाता है। इस प्रकार, अनुचक्रीयता कारोबारी चक्र को बढ़ाती है।

7. ऋण हानि की पहचान करने के लिए लेखा मानक - आईएएस 39 - वित्तीय लिखत : पहचान और मापन के अनुसार, किसी वित्तीय आस्ति की क्षति होती है और यह नुकसान क्षति तभी होती है जब केवल एक या एक से अधिक घटनाएं (अर्थात् हानि की घटनाएं) होने के स्पष्ट प्रमाण मिलते हो, जो कि आस्तियों की शुरुआती पहचान के बाद होते हैं और नुकसान वाली घटना वित्तीय आस्तियों के भावी नकदी प्रवाह पर प्रभाव डालती हैं जिसका विश्वनीय ढंग से अनुमान लगाया जा सकता है।

8. प्रावधानीकरण के इस दृष्टिकोण को घटित हानि आधारित दृष्टिकोण के रूप में भी जाना जाता है जो कि हानि की पहचान करने के पहले चूक, ब्याज और मूल राशि में चूक, उधारकर्ता की महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाई इत्यादि के होने का इंतजार करता है। हानि की घटना की पहचान के बाद या हानि होने की स्थिति में ही हानि के लिए प्रावधान किया जा सकता है न कि 'प्रत्याशित हानि' के आधार पर घटना होने के पहले।

9. हानि की देरी से पहचान होने के कारण हाल की वैश्विक वित्तीय संकट के बाद घटित हानि मॉडल की खूब आलोचना हुई। ऐसी धारणा है कि 'प्रत्याशित हानि' आधारित ऋण हानि की पहचान पहले करने से हाल के संकट के चक्रीय प्रभाव को कम किया जा सकता था।

10. तथापि, लेखाकर प्रत्याशित हानि आधारित प्रावधानीकरण के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उन्हें डर था कि यह लाभ को कम करके प्रबंधन की आय बढ़ाने को प्रोत्साहित कर सकता है और रिपोर्टिंग दिनांक को किसी संस्था की "सही और निष्पक्ष" या पारदर्शी तस्वीर प्रस्तुत करने के लेखा उद्देश्य के साथ समझौता कर सकता है।

11. ऋण जोखिम मॉडल में सुधार प्रत्याशित और अप्रत्याशित हानि की अवधारणा का समर्थन करते हैं। वैचारिक दृष्टि से ऋण हानि से संबंधित प्रावधान में प्रत्याशित हानि को कवर किया जाना चाहिए जबकि पूंजी अप्रत्याशित हानि के लिए पर्याप्त बफर प्रदान करती है। बासल-II ऋण जोखिम पूंजी गणना के तहत आंतरिक रेटिंग आधारित मॉडल दृष्टिकोण प्रत्याशित हानि आधारित प्रावधानीकरण और अप्रत्याशित हानि आधारित पूंजीकरण को बढ़ावा देता है।

12. संकट के तुरंत बाद, मूल्यांकन और प्रावधानीकरण के मानकों में सुधार करने और वैश्विक लेखा मानकों की उच्च गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए बैंकिंग पर्यवेक्षकों और विनियामकों के एक साथ कार्य करने के लिए लेखा मानक निर्धारकों के संबंध में अप्रैल 2009 में जी20 देशों के नेताओं की बैठक बुलाई गई।

13. बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति (बीसीबीएस) ने इस संबंध में आगे पहल की और आईएस 39 के स्थान पर मार्गदर्शक सिद्धांत शीर्षक के नाम से अगस्त 2009 में दस्तावेज प्रकाशित किया और इसे भी अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड (आईएसबी) को भेजा गया। इन सिद्धांतों के अनुसार ऋण हानि के लिए प्रावधानीकरण बहुत अधिक होना चाहिए और यह सुदृढ़ कार्यपद्धति पर आधारित होना

चाहिए जो कि संविभाग की अवधि में बैंकों के मौजूदा ऋण संविभाग में प्रत्याशित ऋण हानियों में दिखता हो। प्रावधानीकरण के लिए लेखा मॉडल घटित हानि मॉडल में शामिल सूचना की तुलना में उपलब्ध ऋण सूचना के व्यापक दायरे को शामिल करके हानि को होने के पहले ही पहचानने की शक्ति प्रदान करता है। इन सिद्धांतों के उद्देश्य के लिए प्रत्याशित ऋण हानियों को ऋण की अवधि में ऋण संविभाग के आधार और संपूर्ण आर्थिक चक्र में हुई हानि को देखते हुए हानियों का अनुमान लगाया जाता है।

14. संकट के बाद, विवेकसंमत विनियामकों और लेखा मानक बनाने वालों की राय ऋण हानि के लिए प्रावधानीकरण की तुलना में भविष्यकालीन प्रत्याशित हानि दृष्टिकोण की वांछनीयता की ओर तब्दील हुई है। वास्तविकता यह है कि आर्थिक गिरावट के माहौल में वित्तीय परिणामों में भी गिरावट आई है और उसी दर से बेरोजगारी दर बढ़ी है। इसलिए, प्रत्याशित हानि पर आधारित क्षति मॉडल को लागू करना विवादास्पद रूप से वर्तमान स्थितियों का विश्वसनीय प्रतिनिधित्व है। आईएसबी, वित्तीय लेखा मानक बोर्ड और बीसीबीएस सक्रिय रूप से इस जटिल समस्या का समाधान खोजने में लगे हुए हैं। इस संदर्भ में, प्रावधानीकरण दृष्टिकोण पर आधारित प्रत्याशित हानि वैश्विक वित्तीय बाजार के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

15. भले ही बैंक और लेखाकार चिह्नित हानि के लिए घटित हानि आधारित प्रावधानीकरण बना रहे थे, जिसे "विशिष्ट प्रावधान" कहा जाता है, वे अपनी स्वेच्छा से कुछ 'सामान्य' प्रावधान या 'अस्थिर' प्रावधान भी करते रहे थे। ये सामान्य प्रावधान किसी प्रकार के प्रत्याशित हानि मॉडल पर आधारित नहीं हैं, किन्तु तुलन पत्र को सुदृढ़ करने के लिए यह एक विवेकपूर्ण प्रथा है। बासल समिति भी टायर-2 की गणना करके ऋण जोखिम भारत आस्तियों के 1.25 प्रतिशत तक के सामान्य प्रावधान को बढ़ावा देती है।

अवधारणा और सिद्धांत

16. गतिशील प्रावधानीकरण वह तकनीक है जो बैंकों को उस समय ऋण हानि के लिए प्रावधान करने की सक्षमता देती है जब आर्थिक गिरावट के दौरान उनके लाभ इन प्रावधानों के लिए उपायोग में लाए जा रहे हों। गतिशील प्रावधानीकरण के अनेक परिवर्तनीय घटक होते हैं। किंतु गतिशील प्रावधानीकरण के पीछे अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि प्रावधान दीर्घकालिक अनुमानों के अनुरूप या चक्रीय प्रत्याशित

हानियों के जरिए निर्धारित किए जाते हैं। इससे अनुचक्रीयता को समाप्त करने में और प्रतिचक्रीय प्रावधान बफर बनाने में मदद मिलेगी और इसके आधार पर बनाए गए गतिशील प्रावधानीकरण को सामान्यतः निम्नानुसार व्यक्त किया जा सकता है:

गतिशील प्रावधान = प्रत्याशित हानि के लिए प्रावधान - विशिष्ट प्रावधान या

गतिशील प्रावधान = चक्रीय हानि अनुपात के जरिए * नए ऋणों का प्रवाह - विशिष्ट प्रावधान का प्रवाह, जहां विशिष्ट प्रावधान प्रकट या घटित हानियों से संबंधित हों या निम्नवत रखे गये हों :

गतिशील प्रावधान = प्रत्याशित हानि प्रावधान - घटित हानि प्रावधान(1)

17. इस फार्मूले का बारीकी से अध्ययन करने से पता चलता है कि अच्छी स्थिति के समय में गतिशील प्रावधानीकरण करना अनुकूल होता है और ये महसूस या घटित हानि के रूप में हानि प्रावधान में जुड़ते हैं, अर्थात्, विशिष्ट प्रावधान उनके जरिए चक्रीय अनुमानों की तुलना में कम होते हैं। खराब स्थिति के दौरान इसके विपरीत होता है और ऋणात्मक गतिशील प्रावधान हानि प्रावधान बफर को समाप्त करता है। इसलिए, प्रावधानीकरण अनुचक्रीय होने के बजाए प्रतिचक्रीय हो जाता है।

स्पेनिश मॉडल

18. अब मैं स्पेन में लागू किए गए गतिशील मॉडल पर चर्चा करूंगा। स्पेन में गतिशील प्रावधानीकरण की शुरुआत के पहले, स्पेनिश बैंकों की प्रावधान प्रणाली वर्तमान में अधिकांश देशों द्वारा अपनाई गई प्रणाली जैसी थी। मानक प्रणाली के अनुसार, बैंकों को ऋण हानियों के लिए दो प्रकार के प्रावधान करने की जरूरत थी। पहला, ऋण संवृद्धि के नियत प्रतिशत के रूप में किया गया सामान्य प्रावधान, जिसका उद्देश्य है कि विशेष रूप से संदिग्ध ऋणों की पहचान के बिना समान संविभाग पर औसतन घटित हानियों की गणना करना। दूसरा, वैयक्तिक ऋणों पर घटित हानियों अर्थात् चूकग्रस्त आस्तियों के लिए किए गए विशिष्ट प्रावधान जो कि ऋण के जोखिम स्तर और अतिदेय के समय पर निर्भर करता है।

19. 1990 के दशक के अंतिम समय के दौरान महत्वपूर्ण ऋण संवृद्धि की अवधि के बाद स्पेनिश बैंकों के तुलना-पत्रों में ऋण जोखिम में तेजी से वृद्धि का सामना करने के लिए जुलाई 2000 में स्पेन के केन्द्रीय बैंक, बैंक ऑफ स्पेन द्वारा गतिशील प्रावधान प्रणाली की शुरुआत की

गई थी। बैंकों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा के चलते अपर्याप्त ऋण मूल्य-निर्धारण हुआ। अधिक पारंपरिक होने के लिए बैंकों को प्रेरित करने में नैतिक आह्वान भी अपर्याप्त साबित हुआ। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में अनर्जक ऋणों में महत्वपूर्ण कमी हुई जो कि बहुत कम प्रावधान करने का संकेत देती है। वास्तव में, 1999 में ओईसीडी देशों में कुल ऋण की तुलना में ऋण हानि प्रावधान का अनुपात स्पेन में बहुत कम था। 1991-1999 की अवधि के लिए इसके प्रावधानीकरण अनुपात और जीडीपी संवृद्धि दर (-0.97) के बीच उच्च ताल-मेल भी था। इस प्रकार ऋण हानि प्रावधान स्पेन में बहुत ही अनुचक्रीय थे: ये विस्तार के दौरान बहुत कम और मंदी के दौरान बहुत अधिक थे, जबकि ऋण जोखिम और जोखिम का कम मूल्यांकन तेजी के दौरान बढ़ा था।

20. विशिष्ट और सामान्य प्रावधान के अतिरिक्त नई प्रणाली (2000 व्यवस्था) के अंतर्गत सांख्यिकीय प्रावधान जोड़े गए जो कि अदृश्य जोखिम (ऋण संवृद्धि पर आधारित जोखिम मापदंड) और विशिष्ट प्रावधान का अंतर था। सांख्यिकीय प्रावधान तिमाही आधार पर लगाए गए। इसका मतलब यह हुआ कि निश्चित अवधि के लिए सांख्यिकीय प्रावधान ऋण संवृद्धि और समकालीन खराब ऋणों के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकते हैं। सांख्यिकीय प्रावधानों में वृद्धि होने पर इनसे निधि निर्मित होती है जिसे सांख्यिकीय प्रावधान कहा जाता है। इस प्रकार की निधि के लिए न्यूनतम और अधिकतम सीमा निर्धारित गई थी।

21. सांख्यिकीय प्रावधान की शुरुआत के बाद, आर्थिक चक्र की बेहतर स्थिति और मजबूत हुई और प्रत्याशित समय से अधिक समय तक बनी रही। निधि-सीमा, जो बहुत ही अनिश्चित अनुमान पर आधारित थी, की प्रारंभिक डिजाइन के साथ-साथ इसके कारण सांख्यिकीय प्रावधान निधि में तेजी से वृद्धि हुई, जबकि विशिष्ट प्रावधानों को ऐतिहासिक रूप से कम अनर्जक ऋणों के वातावरण में न्यूनतम रखा गया था।

22. 2004 में, यह स्पष्ट हो गया कि सांख्यिकीय प्रावधानों का संचय संभवतः अधिक था। उसी समय, बैंक ऑफ स्पेन को लाभ जुटाने वाली प्रणाली को अपनाने के कारण उसकी अंतरराष्ट्रीय लेखांकन क्षेत्र में अलोचना की जा रही थी, क्योंकि उसके द्वारा अपनाई गई प्रणाली उचित मूल्य सिद्धांत और अंतरराष्ट्रीय लेखा मानकों के विरुद्ध थी। इस अधिक संचय को सही करने और लेखाकारों की आलोचना से बचने के लिए 2004 में नए लेखा विनियमन में अपनाए गए।

23. इस बदलाव में मात्र दो प्रकार के ऋण हानि प्रावधान अर्थात् सामान्य और विशिष्ट प्रावधान शामिल थे। सामान्य प्रावधान में

अल्फा और बीटा नामक दो महत्वपूर्ण मापदंडों पर आधारित दो घटकों का जोड़ा था। अल्फा ऋण हानियों, अर्थात् पिछले अनुभव के आधार प्रत्याशित हानियों का औसत अनुमान था और बीटा विशिष्ट प्रावधानों का ऐतिहासिक औसत था। स्पेन में गतिशील प्रावधानों के पीछे अंतर्निहित सिद्धांत सामान्य प्रावधान को बनाना था जिसमें (i) निर्धारित अवधि में दिए गए नए ऋणों में प्रत्याशित हानि और (ii) उक्त अवधि के लिए किए गए विशिष्ट प्रावधानों को हटाने के बाद उस अवधि की समाप्ति पर ऋण के बकाया स्टॉक पर ऐतिहासिक औसत हानियां। फार्मूला-वार :

किसी अवधि के दौरान सामान्य प्रावधान = [अल्फा * वृद्धिशील ऋण] + [बीटा-डेल्टा विशिष्ट प्रावधान/बकाया ऋण) * (बकाया ऋण)] या

किसी अवधि के दौरान सामान्य प्रावधान = [अल्फा * वृद्धिशील ऋण] + [(बीटा * बकाया ऋण) - (डेल्टा विशिष्ट प्रावधान)].....(2)

24. सामान्य प्रावधान का पहला घटक अल्फा टाइम्स अर्थात् किसी बैंक द्वारा मंजूर वृद्धिशील ऋण था। इसलिए इस घटक ने विस्तार के दौरान प्रत्याशित ऋण जोखिम को पहचाना, यद्यपि ऋण हानियों को किसी विशिष्ट ऋण में अभी तक चिह्नित नहीं किया गया है। दूसरा घटक बीटा टाइम्स अर्थात् अवधि के दौरान किए गए विशिष्ट प्रावधानों को घटाकर बकाया ऋण का स्टॉक था। इससे कोई भी पता लगा सकता है कि दूसरे घटक में बीटा, जो कि ऐतिहासिक औसत विशिष्ट प्रावधान है, की तुलना विशिष्ट प्रावधान के वर्तमान स्तर से की गई है। यह अंतर तेजी के दौरान अनुकूल होगा जब विशिष्ट प्रावधान का वर्तमान स्तर ऐतिहासिक औसत की तुलना में कम हो और इस प्रकार सामान्य प्रावधान के शेष में वृद्धि हो। इसी प्रकार, गिरावट/मंदी के दौर में, विशिष्ट प्रावधान का वर्तमान स्तर विशिष्ट प्रावधान के ऐतिहासिक औसत की तुलना में अधिक हो सकता है, इस स्थिति में दूसरा घटक ऋणात्मक हो जाता है और इस घटक को पहले घटक से घटाया जाता है जिसके चलते सामान्य प्रावधान निधि में आहरण द्वारा कमी हो सकती है। इस प्रकार दूसरे घटक की प्रकृति प्रतिचक्रीय होती है जो बेहतरी के दौरान बनती है और गिरावट के दौरान समाप्त हो जाती है। दूसरा घटक सामान्य प्रावधान से की गई जमा/निकासी पर आधारित ऋण देने के चक्र की मजबूती और कमजोरी दर्शाता है।

25. बैंक ऑफ स्पेन ने अल्फा और बीटा को शून्य जोखिम (नकदी, सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण इत्यादि) से उच्च जोखिम (क्रेडिट कार्ड और ओवरड्राफ्ट) की 6 समरूप जोखिम वर्ग में विभाजित किया था। बैंकों को यह विकल्प दिया गया था कि वे पर्यवेक्षी अनुमोदन लेकर अपने स्वयं की ऋण पृष्ठभूमि और अनुभव के आधार पर अपने खुद के नपे-तुले उपायों का प्रयोग कर सकते हैं।

26. इस बात को और स्पष्ट करने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए, बैंक एक्स के ऋण का बकाया स्टॉक ₹1000 है और पिछले वर्ष का ऋण ₹800 है, इस प्रकार ऋण में वृद्धिशील संवृद्धि ₹200 मान लेते हैं। आगे मान लीजिए कि पर्यवेक्षक द्वारा किए गए अल्फा और बीटा का मान क्रमशः 2 प्रतिशत और 1 प्रतिशत है और वर्तमान वर्ष के लिए जरूरी विशिष्ट प्रावधान ₹8 है। पहले वर्ष के लिए बैंक एक्स अल्फा टाइम्स वृद्धिशील ऋण अर्थात् ₹200 के 2 प्रतिशत के बराबर सामान्य प्रावधान करेगा अर्थात् ₹4 + बीटा टाइम्स बकाया ऋण और विशिष्ट प्रावधान जो कि इस मामले में ₹1000 का 1 प्रतिशत - ₹8 = ₹2 होगा। इस प्रकार वर्ष के दौरान बैंक एक्स द्वारा ₹6 (4+2) का सामान्य प्रावधान किया जाएगा। वर्ष के दौरान किया गया कुल प्रावधान सामान्य प्रावधान और विशिष्ट प्रावधान को मिलाकर अर्थात् ₹6+₹8 = ₹14 होगा।

27. जरूरत से कम प्रावधानीकरण और अधिक प्रावधानीकरण से बचने और लेखाकारों को संतुष्ट करने के लिए सामान्य प्रावधान में अल्फा टाइम्स बकाया ऋण की न्यूनतम सीमा 33 प्रतिशत और उच्चतम सीमा 125 प्रतिशत शामिल है। इन सीमाओं को 2004 में रखा गया था जब अधिकांश बैंक इस विनियमन के अनुप्रयोग के समय पहले से नई उच्चतम सीमा पर थे। सामान्यतः अधिक प्रावधानीकरण दीर्घकालिक विस्तार चरण में होगा क्योंकि विशिष्ट प्रावधान बीटा से कम है और अल्फा ने भी सकारात्मक भूमिका अदा की है। इस सीमा का निर्धारण दीर्घावधि तक बढ़ने वाली ऋण हानि के प्रावधान से बचना है जिससे कवरेज अनुपात (अनर्जक ऋणों की तुलना में प्रावधान अनुपात) बनता है जो कि अवास्तविक है।

28. इस प्रकार गतिशील प्रावधानीकरण मॉडल के अंतर्गत कुल प्रावधान अर्थात् सामान्य प्रावधान और विशिष्ट प्रावधान का कुल योग अल्फा टाइम्स वृद्धिशील ऋण + बीटा टाइम्स बकाया ऋण होता है। स्पेनिश मॉडल परंपरावादी है क्योंकि यह अल्फा टाइम्स वृद्धिशील ऋण संवृद्धि के बराबर सामान्य प्रावधान बनाता है अर्थात् सामान्य प्रावधान पहले घटक के कारण अभी बढ़ते हैं भले ही विशिष्ट प्रावधान

का वर्तमान स्तर ऐतिहासिक औसत विशिष्ट प्रावधान के समान क्यों न हो। तथापि आर्थिक गिरावट के दौरान दूसरा घटक प्रावधान-स्टॉक को कम करने में अकेले ही उत्तरदायी है।

एफएसए मॉडल

29. स्पेनिश गतिशील प्रावधानीकरण मॉडल के मूलभूत तर्कों पर चर्चा करने के बाद, एफएसए मॉडल पर भी संक्षिप्त रूप से चर्चा करना महत्वपूर्ण है, यह गतिशील प्रावधानीकरण के संबंध में यूके का एक मॉडल है जो मार्च 2009 की टर्नर समीक्षा में सुझाया गया था। एफएसए मॉडल के अंतर्गत गतिशील प्रावधान दीर्घावधि ऋण हानि अनुमान और वृद्धिशील विशिष्ट प्रावधान के बीच का अंतर होता है। इस प्रकार, गतिशील प्रावधान तब बनाए जाते हैं जब वृद्धिशील विशिष्ट प्रावधान दीर्घावधि ऋण हानि अनुमान से कम होते हैं जो कि प्रत्याशित हानि के समान होते हैं। इस मॉडल अर्थात् गतिशील और विशिष्ट के अंतर्गत वर्ष के दौरान अपेक्षित कुल प्रावधान दीर्घावधि ऋण हानि के अनुमान के आधार पर निकाले जाते हैं। एफएसए मॉडल के अंतर्गत गतिशील प्रावधान का प्रवाह प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में ऋण बकाया के स्टॉक का इस्तेमाल करके निकाला जाता है इसे नीचे दर्शाया गया है:

गतिशील प्रावधान (वर्ष के दौरान जाना है) = दीर्घावधि ऋण हानि अनुमान - वृद्धिशील विशिष्ट प्रावधान(3)

30. मैंने निम्नलिखित उदाहरण भारतीय रिजर्व बैंक के डिस्कशन पेपर से लिया है:

31. उदाहरण में मानी हुई प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं:

- (i) दस वर्ष का आर्थिक चक्र
- (ii) ऋण के 0.8 प्रतिशत की औसत दीर्घावधि हानि दर, संविभाग के भीतर ऋणों के अपरिवर्तित मिश्रण, और

(iii) ऋणों के लिए 60 प्रतिशत का औसत जोखिम भार। यह भी माना गया है कि मुख्यतः चूक की संभावना संबंधी परिवर्तनीय मात्रा दृष्टिकोण के अनुप्रयोग के जरिए, यह जोखिम भार चक्र से स्वयं भिन्न नहीं होता है।

32. उदाहरण गिरावट के दौरान गतिशील प्रावधानीकरण दृष्टिकोण के कार्यान्वयन से पहले ₹100 के बही ऋण से शुरू होता है। शुरुआती वर्षों में, गतिशील प्रावधानीकरण रिजर्व का प्रभाव नहीं होता है। क्योंकि इसे चक्र के अच्छे भाग के रूप में नहीं बनाया गया था, गिरावट के पहले कोई शेष नहीं है जो कि उन वर्षों में कम हो सकता है जब वास्तविक ऋण हानियां दीर्घावधि औसत से अधिक हो जाए।

33. जब अर्थव्यवस्था अधिक सामान्य स्थिति में लौटती है, तब संवृद्धि भी बढ़ने लगती है और ऋण हानियां कम हो जाती हैं। 4 से 9 वर्ष की अवधि के दौरान बाद वाली मद दीर्घावधि औसत की तुलना में कम है और इससे गतिशील प्रावधानीकरण रिजर्व बनने लगता है। तब यह वर्ष 11 और 12 में अपने आप कम हो सकता है ताकि अगली गिरावट की अधिक औसत हानियों को पर्याप्त कवरेज प्रदान किया जा सके।

34. उदाहरण से पता चलता है कि गतिशील दृष्टिकोण चक्र के अच्छे दौर में बफर बनाने में कैसे कार्य करेगा और जब गिरावट आएगी तब इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। यह मौजूदा स्पेनिश मॉडल पर आधारित है; तथापि ऋण स्टॉक में वृद्धि को कवर करने के लिए कोई अलग अल्फा फैक्टर नहीं है।

पेरुवियन मॉडल

35. दक्षिण अमेरिका के कई देशों ने भी गतिशील प्रावधानीकरण की शुरुआत की है, जिनमें पेरू का नाम ध्यान देने योग्य है। पेरू ने जीडीपी की संवृद्धि दर से जोड़कर सामान्य प्रावधान के रूप में चक्रीय प्रावधानीकरण की शुरुआत की है। जब जीडीपी एक निश्चित सीमा (तेजी के दौरान) को पार करती है, तब चक्रीय प्रावधानीकरण सक्रिय

एफएसए मॉडल के अंतर्गत गतिशील प्रावधानीकरण

वर्ष	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अ ऋण (₹)	100	100	105	110	120	135	150	170	190	200	200	200
आ हानियां (प्रतिशत)	1.60	1.60	1.00	0.40	0.60	0.50	0.50	0.50	0.40	0.80	1.60	1.60
इ हानियां (₹) (अ*आ) वृद्धिशील विशिष्ट प्रावधान	1.60	1.60	1.05	0.44	0.72	0.81	0.75	0.85	0.76	1.60	3.20	3.20
ई दीर्घावधि हानियां (₹) (0.80*अ)	0.80	0.80	0.84	0.88	0.96	1.08	1.20	1.36	1.52	1.60	1.60	1.60
उ ▲ गतिशील प्रावधान (₹) (ई-इ)	0.00	0.00	0.00	0.44	0.24	0.27	0.45	0.51	0.76	0.00	(1.60)	(1.07)
ऊ गतिशील प्रावधान (₹) अर्थात् संचित शेष	0.00	0.00	0.00	0.44	0.68	0.95	1.40	1.91	2.67	2.67	1.07	0.00
ए आरडब्ल्यूए (₹)	60	60	63	66	72	81	90	102	114	120	120	120
ऐ डीपी रिजर्व/आरडब्ल्यूए (प्रतिशत)	0.00	0.00	0.00	0.70	0.90	1.20	1.60	1.90	2.30	2.20	0.90	0.00

हो जाता है; और जब जीडीपी संवृद्धि दर सीमा से कम होती है तो चक्रीय प्रावधानीकरण निष्क्रिय हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि जीडीपी संवृद्धि ऋण संवृद्धि का अनुसरण करती है और ऋण की तुलना में जीडीपी एक बेहतर प्रणालीगत संवृद्धि का संकेतक है।

प्रस्तावित भारतीय ढांचा

36. अब मैं भारत में गतिशील प्रावधानीकरण की शुरुआत की आवश्यकता और मार्च 2012 के पत्र में सुझाए गए सैद्धांतिक मॉडल पर चर्चा करना चाहता हूँ।

37. यद्यपि, भारतीय रिजर्व बैंक उपलब्ध आंकड़ों और अधिनिर्णय के आधार पर मानक आस्ति प्रावधानीकरण दरों की प्रतिचक्रीय विविधता की नीति का पालन कर रहा है, वर्तमान प्रावधानीकरण के ढांचे में ऋण चक्र और हानि की पृष्ठभूमि के विश्लेषण के आधार पर अंतर्निहित प्रतिचक्रीय या चक्र को सरल बनाने वाला कोई घटक नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण के ढांचे की शुरुआत करने की आवश्यकता को बहुत पहले ही पहचान लिया था। तथापि, वैश्विक वित्तीय संकट से मिली सीख ने इस प्रकार के ढांचे की शुरुआत करने की आवश्यकता को और बल दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यूनतम प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात की शुरुआत दिसंबर 2009 में की ताकि प्रावधानीकरण बफर उस समय बनाया जा सके जब सामान्यतः बैंक अच्छा लाभ कमा रहे हो। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हमारे बैंकों की ऋण पृष्ठभूमि के आधार पर कोई व्यापक वैज्ञानिक अध्ययन करने तक यह बात आंतरिक उपाय के रूप में रहनी थी।

38. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है गतिशील प्रावधानीकरण की अवधारण ने संसार के पर्यवेक्षकों में बहुत अधिक रुचि पैदा की है क्योंकि वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान अधिकांश स्पेनिश बैंक फायदे में रहे थे। जैसा कि हम भारत में प्रतिचक्रीय दृष्टिकोण के कार्यान्वयन के बारे में पहले से ही सोच रहे थे, अवधारणा के रूप में गतिशील प्रावधानीकरण उपलब्ध हो जाने से इस कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिली। विभिन्न देशों अर्थात् पेरू, स्पेन द्वारा कार्यान्वित गतिशील प्रावधानीकरण के अनेक दृष्टिकोणों का अध्ययन करने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंकिंग प्रणाली की विशिष्टता को ध्यान में रखकर एक गतिशील प्रावधानीकरण ढांचा तैयार किया है। अब मैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मार्च 2012 के अपने चर्चा पत्र में चर्चा किए गए सैद्धांतिक मॉडल के बारे में संक्षिप्त रूप में चर्चा करना चाहता हूँ।

39. भारत में गतिशील प्रावधानीकरण ढांचा ज्यादातर एफएसए मॉडल पर आधारित है। सैद्धांतिक सूत्र निम्नवत है:

डेल्टा गतिशील प्रावधान = प्रत्याशित हानियां - वृद्धिशील विशिष्ट प्रावधान = अल्फा*बकाया ऋण- वृद्धिशील विशिष्ट प्रावधान.....(4)

40. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सुझाव दिए गए प्रावधानीकरण ढांचे में दो घटक हैं अर्थात् (i) विशिष्ट प्रावधान और (ii) गतिशील प्रावधान। जहां विशिष्ट प्रावधान एनपीए प्रावधानीकरण से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार होंगे, वहीं गतिशील प्रावधान एक वर्ष के लिए संविभाग की दीर्घावधि औसत प्रत्याशित हानि और वर्ष के दौरान किए गए विशिष्ट प्रावधान के बीच का अंतर है। इस प्रकार, इससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक वर्ष विशिष्ट प्रावधान और गतिशील प्रावधान के कारण लाभ-हानि खाते का प्रभार अल्फा टाइम्स बकाया ऋण अर्थात् प्रत्याशित हानियों के स्तर पर रखा गया है।

41. जैसा कि ऊपर देखा गया है कि गतिशील प्रावधान केवल तभी किए जाते हैं जब विशिष्ट प्रावधान प्रत्याशित हानियों की तुलना में कम होते हैं। इस प्रकार यह ढांचा इस बात को सुनिश्चित करता है कि किसी भी समय प्रत्याशित हानियों के समकक्ष प्रावधानीकरण होना चाहिए। इस प्रकार, गतिशील प्रावधानीकरण ढांचे का उद्देश्य चक्र के जरिए लाभ-हानि खाते में होने वाली हानि को कम करना है और न कि प्रत्याशित हानियों के लिए सामान्य प्रावधानीकरण का कूशन प्रदान करना। यही भारतीय गतिशील प्रावधान ढांचे का मूल भाव है।

42. अब मैं गतिशील प्रावधानीकरण के प्रस्तावित ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण पक्षों के बारे में चर्चा करूंगा। यद्यपि, बैंकों से प्राप्त सुझावों और फीडबैक के आधार पर इस ढांचे की समीक्षा का कार्य जारी है फिर भी, मैं इस ढांचे के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में संक्षिप्त रूप से चर्चा करना चाहूंगा।

43. प्रत्याशित हानि की गणना में इस्तेमाल की गई चूक पर हानि (एलजीडी) बासेल II के ऋण जोखिम के लिए आंतरिक रेटिंग्स आधारित दृष्टिकोण (आईआरबी) में प्रयोग की गई गिरावट वाली एलजीडी (सामान्य एलजीडी के बजाय) पर आधारित है। तथापि, इस पर उच्चतम सीमा निर्धारित करके यह कम की गई। भारत में, हमने इतनी गंभीर गिरावट/चक्र नहीं देखा है। हमारे द्वारा निर्धारित मापदंड 5-10 वर्षों के आंकड़ों पर आधारित हैं। जब वर्तमान चक्र में गिरावट हो तो 10 वर्ष के आंकड़ों पर आधारित हानि मापदंडों की माप संभावित हानियों की व्यापकता को हो सकता है कि न दर्शा पाए। पुख्ता

अनुमान लगाने के लिए सामान्यतः कम-से-कम 2-3 चक्रों अर्थात् 20-25 वर्ष की वास्तविक हानियों की जरूरत होती है। इसलिए, मात्र 10 वर्ष की औसत हानि दर के आधार पर गतिशील प्रावधानीकरण दर की माप करना जोखिम भरा है और पारंपारिकता के महत्वपूर्ण घटक को इस माप में जोड़ने की जरूरत है। इसलिए यह महसूस किया गया कि पिछले 10 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर गिरती एलजीडी दरें अपेक्षित पारंपारिकता का उचित उपाय हो सकती हैं। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंकों पर अनावश्यक रूप से बोझ न आए, एक उच्चतम सीमा लागू की गई है।

44. जब पहली बार गतिशील प्रावधानीकरण ढांचा कार्यान्वित किया जाएगा तब बैंकों को गतिशील प्रावधानों की शेष राशि में सामान्य प्रावधान और अस्थिर प्रावधानों की अपनी पूरी राशि अंतरित करनी होगी। उसके बाद, गतिशील प्रावधान वर्ष के दौरान प्रत्याशित हानियों और विशिष्ट प्रावधानों के बीच के अंतर के बराबर की राशि के अनुसार बढ़ेगा।

45. ऐसे प्रावधान जिन्हें पूंजी में शामिल किया जा सकता है, को निर्धारित करने के उद्देश्य के साथ-साथ गिरती एलजीडी पर आधारित गतिशील प्रावधानों की गणना के लिए बैंकों को अनुमानित आधार पर सामान्य एलजीडी के आधार पर गतिशील प्रावधानों की गणना करनी होगी। इन दोनों के बीच के अंतर को टीयर 2 पूंजी के लिए गणना किए गए सामान्य प्रावधानों के रूप में माना जाएगा जबकि सामान्य एलजीडी के आधार गतिशील प्रावधानों को विशिष्ट प्रावधानों के रूप में माना जाएगा।

46. इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक अपने स्वयं के ऋण मूल्यांकन और ऋण पर्यवेक्षण की कमियों के कारण हुई उच्चतर हानियों को पूरा करने के लिए गतिशील प्रावधानों से आहरण न करे और न ही गिरावट के पहले इसका उपयोग करे, भारतीय रिजर्व बैंक मंदी के प्रमाण के आधार पर इससे आहरण करने की अनुमति देगा। भारतीय रिजर्व बैंक गतिशील प्रावधानों के निर्गम के लिए उचित ढांचा तैयार करेगा।

47. जब भारतीय रिजर्व बैंक गतिशील प्रावधान जारी नहीं करेगा तब बैंकों की लाभप्रदता विशिष्ट प्रावधानों को पूरा करने में पर्याप्त नहीं हैं, तो उन्हें गतिशील प्रावधानों का सहारा लेने की अनुमति नहीं होगी।

अल्फा (प्रत्याशित हानियां) के निर्धारण के लिए अपनाई गई पद्धति

48. भावी एक वर्ष के दौरान बासल II आईआरबी फार्मूला अर्थात् पीडी*एलजीडी का प्रयोग करके प्रत्याशित हानियों की गणना की

गई। 5-10 वर्ष में एनपीए के आंकड़ों में उतार-चढ़ाव को पीडी और एलजीडी के निर्धारण के लिए प्रयोग किया गया। अल्फा की गणना सभी बैंकों और चार आस्ति वर्ग, अर्थात् आवास, रिटेल, कार्पोरेट (इंफ्रास्ट्रक्चर और एसएमई छोड़कर) और अन्य के लिए प्रणाली की व्याप्ति के आधार पर की गई जो कि 9 बैंकों के नमूने पर आधारित थी और 31 मार्च 2010 को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के सकल अग्रिम में उक्त बैंकों का अंश 32.53 प्रतिशत था।

प्रस्तावित ढांचे का प्रभाव

49. जहां प्रत्येक बैंक पर प्रस्तावित ढांचे के प्रभाव का मूल्यांकन नहीं किया गया वहीं प्रणाली व्याप्ति के आधार पर लाभ-हानि खाते पर प्रावधानीकरण का प्रभार वार्षिक रूप से सकल अग्रिम का 1.37 प्रतिशत रहा। भारतीय रिजर्व बैंक में संग्रहित प्रणाली की व्याप्ति संबंधी आंकड़ों के अनुसार 8 वर्षों (2003 से 2010 तक) के दौरान मानक आस्ति प्रावधान और विशिष्ट प्रावधानों (बढ़ा खाते में डालने को शामिल करते हुए) के कारण लाभ-हानि खाते पर औसत वार्षिक प्रभार सकल अग्रिमों का 1.04 प्रतिशत रहा। अतिरिक्त प्रभार मुख्यतः एलजीडी में गिरावट के आधार पर अल्फा के निर्धारण के कारण रहा है।

मुद्दे

50. गतिशील प्रावधानीकरण का कार्यान्वयन करते समय विचार तथा चर्चा करने योग्य मुद्दे निम्नलिखित हैं:

आंकड़ों की चुनौतियां

51. अल्फा के निर्धारण के लिए, संपूर्ण बैंक के आंकड़े लेने के अतिरिक्त, सभी बैंकों से निम्नलिखित 8 वर्गों से आंकड़े लिए गए हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर, वाणिज्यिक स्थावर संपदा (सीआरई), लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई), अन्य कार्पोरेट, रिटेल, आवास, क्रेडिट कार्ड और अन्य। तथापि, 9 बैंकों द्वारा ही इस अध्ययन के लिए उपयोगी आंकड़े रिटेल, आवास, और अन्य कार्पोरेट (इंफ्रास्ट्रक्चर, एसएमई और सीआरई को छोड़कर) के संबंध प्रस्तुत किए गए। इस कारण से, यह अध्ययन रिटेल, आवास, और अन्य कार्पोरेट (इंफ्रास्ट्रक्चर, एसएमई और सीआरई को छोड़कर) और अन्य (जो अवशिष्ट वर्ग के हैं) तक सीमित है।

52. आदर्श स्थिति के रूप में, अल्फा की गणना उन अलग-अलग ऋण वर्गों के लिए की जानी चाहिए जो जोखिम के भिन्न-भिन्न स्तर पर प्रदर्शित होते हैं और इस प्रकार इनके लिए उच्चतर प्रावधानीकरण आवश्यक होगा। अल्फा का निर्धारण विभिन्न आस्ति वर्गों और रेटिंग वर्गों की चूक की संभावना के चक्र के जरिए भावी दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए और अलग-अलग बैंकों की ऋण-पृष्ठभूमि

के आधार पर होना चाहिए और उन्होंने अपने स्वयं के ऋण जोखिम संविभाग को दर्शाना चाहिए। तथापि, इस स्तर पर अपनी वैयक्तिक ऋण पृष्ठभूमि के आधार पर अल्फा का निर्धारण सभी बैंकों के लिए संभव नहीं है क्योंकि अपेक्षित आंकड़े उन्हें नहीं मिलते हैं। इसके अतिरिक्त, इस स्थिति में सभी महत्वपूर्ण वर्गों के लिए सिस्टम-लेवल अल्फा की गणना नहीं की जा सकती, इसके लिए अलग अल्फा फैक्टर की जरूरत होती है। तथापि, बेहतर निर्धारण को सुनिश्चित करने के लिए चर्चा पत्र पेपर में आने वाले समय में आंकड़ों के वर्षों की संख्या बढ़ाने और नमूने का आकार बढ़ाने के अतिरिक्त वर्गों की संख्या में बढ़ोतरी किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

मापदंडों का निर्धारण

53. बैंकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे प्रणाली-व्यापी आधार पर निर्धारित किए गए मानकीकृत मानदंडों के आधार पर प्रावधान करें, कई ऐसे बैंकों का अहित कर सकता है जो अपने ऋण संविभाग का बेहतर ढंग से प्रबंधन करते हैं और साथ ही इसमें कमजोर ऋण संविभाग रखने वाले जोखिमपूर्ण बैंकों के मामले में कम प्रावधानीकरण का जोखिम होता है। तथापि इसके समाधान के लिए जिन बैंकों से अपेक्षा है वे अपनी ऋण पृष्ठभूमि के आधार अल्फा की गणना की ओर क्रमिक रूप से बढ़ सकते हैं।

कार्यान्वयन की समय-सीमा

54. यह तर्क दिया जाता है कि गतिशील प्रावधानीकरण बेहतरी के समय लागू किया जाना चाहिए ताकि इससे कुछ कुशन बनाया जा सके जिसे मंदी के दौर में उपयोग में लाया जा सकेगा। वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग प्रणाली आस्ति गुणवत्ता के तनाव का अनुभव कर रही है, अतः चक्र के इस स्तर पर गतिशील प्रावधान के कार्यान्वयन में सावधानीपूर्वक निर्णय किया जाएगा।

ऋण चक्र का प्रभाव

55. गतिशील प्रावधानीकरण प्रणाली की रूपरेखा पिछले ऋण चक्र के दौरान ऋण हानियों के संबंध में प्राप्त सूचनाओं का उपयोग करके बनाई जाती है। किन्तु, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इस प्रकार से बनायी गई प्रणाली अगली मंदी के दौरान होने वाली सभी ऋण हानियों का समाधान करने में सक्षम होगी। स्पेन में भी, जहां 40 वर्ष की विकट मंदी की अवधि इसमें शामिल की गई, फिर भी यह स्पष्ट नहीं है कि यह प्रणाली सभी प्रकार की ऋण हानियों को कवर करने के लिए पर्याप्त है।

लाभ को आसान बनाना

56. इसकी बहुत अधिक आलोचना की गई कि गतिशील प्रावधान प्रणाली में आय-विवरण में घटित होने वाली और प्रत्याशित हानियों

के लिए एक मुश्त प्रावधान करके महत्वपूर्ण जानकारियों को छुपाया जाता है और इसलिए यह बैंक के कार्य-निष्पादन के संबंध में समय से और विश्वसनीय जानकारियां उपलब्ध कराने के उद्देश्य के विरुद्ध है। तथापि, इसका समाधान विशिष्ट और गतिशील प्रावधान-दोनों का पर्याप्त प्रकटीकरण करके किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रकटीकरण से वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को ऐतिहासिक आंकड़ों पर आधारित हानि प्रत्याशाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले गतिशील प्रावधानों और ऋण संविभाग में चिह्नित की गई हानियों के लिए विशिष्ट प्रावधानों के बीच का अंतर पता चलता है।

लेखा मानकों का अंतरसंबंध

57. गतिशील प्रावधानों का कार्यान्वयन करते समय एक प्रश्न हमेशा उठता है कि क्या यह अवधारणा अंतरराष्ट्रीय लेखा मानकों के अनुरूप है? अभी तक, इस प्रश्न का जवाब नकारात्मक है, क्योंकि गतिशील प्रावधान की अवधारणा मौजूदा समय में पालन किए जा रहे लेखा मानकों के अनुसार घटित हानियों के सिद्धांत से मेल नहीं खाती। तथापि, संकट की पृष्ठभूमि में, दो प्रमुख वैश्विक मानक निर्धारक - आईएसबी और एफएसबी इस सिद्धांत पर सहमत हैं कि घटित हानि मॉडल की अपनी सीमाएं हैं और इसे प्रत्याशित हानि मॉडल से बदलने की आवश्यकता है। 'शुरुआती गतिविधियां' जो आईएसएस 39 के वर्तमान घटित हानि मॉडल के तहत कम किए जाने वाले ऋणों के लिए आवश्यक हैं, को नए आईएफआरएस 9 (जिसे आईएसएस 39 के स्थान पर लाने के लिए बनाया गया है) में भावी प्रत्याशित हानि मॉडल प्रावधानीकरण दृष्टिकोण से बदलने का प्रस्ताव है।

58. आईएफआरएस 9 के संबंध में वर्तमान जानकारी के अनुसार यह प्रस्ताव किया गया है कि प्रत्याशित हानि मॉडल के कार्यान्वयन में संस्थाएं पूर्व में हुए नुकसान की घटनाओं, वर्तमान स्थिति और आर्थिक स्थिति और भावी गतिविधियों के उचित पूर्वानुमान संबंधी जानकारियों को ध्यान में रखेंगी है। इसलिए यह संदेह होता है कि क्या गतिशील प्रावधानीकरण प्रणाली आगामी आईएफआरएस 9 के सिद्धांतों के पूर्णतः अनुरूप होगी, क्योंकि यह तो पूर्णतः ऐतिहासिक हानि अनुभव के आधार पर है। हमें लेखा पक्ष से संबंधित गतिविधियों पर सावधानीपूर्वक निगरानी रखने की आवश्यकता है ताकि हम इस बात का समाधान निकाल सके कि गतिशील प्रावधानीकरण अवधारणा लेखा सिद्धांतों के साथ मेल खा कैसे सकती है। किन्तु, प्रावधानीकरण मानक पर आधारित प्रत्याशित हानि मॉडल को विकसित करने में आईएसबी और एफएसबी द्वारा की गई प्रगति बहुत ही धीमी है।

स्पेनिश बैंकों को समस्या का सामना अब भी क्यों करना पड़ रहा है?

59. पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में वैश्विक वित्तीय संकट से निपटने में स्पेनिश बैंकिंग प्रणाली को सबसे सशक्त माना गया और इसकी

पारंपरिक और विवेकसम्मत बैंकिंग नियमावली की तारीफ की गई - विशेष रूप से गतिशील प्रावधानीकरण की, जिसे शेष संसार ने अपनी नीतियों को बनाने के लिए एक मॉडल के रूप में देखा। तथापि, स्पेन में बैंकिंग प्रणाली द्वारा वर्तमान में सामना किया गया संकट मुख्यतः स्थावर संपदा के बुलबुले के कारण था जो 2007 में फट गया और यह पर्यवेक्षकों और विनियामकों के ध्यान का मुख्य बिन्दु बन गया है। इस बात की आशंकाएं की गईं कि क्या स्पेनिश बैंकों ने सचमुच संकट का सामना किया या उन्होंने अपनी हानियों को मात्र स्थगित किया था यदि ऐसा है तो बैंकिंग क्षेत्र के लिए यह बात अधिक परेशानी वाली होगी।

60. अब यह स्पष्ट हो गया है कि स्पेन में बैंक अपनी सभी प्रकार की हानियों की रिपोर्टिंग नहीं करते थे। इस प्रकार की सोच को उस समय बहुत अधिक बल मिला जब स्पेन की गिरवी ऋण देने वाली सबसे बड़ी संस्था, बैंकिया ने वर्ष 2011 के लिए अपने अर्जन 309 मिलियन पाउंड के लाभ को संशोधित करके 4.3 बिलियन की हानि के रूप में दिखाया। समाचार पत्रों की रिपोर्ट से पता चला कि गतिशील प्रावधानीकरण जैसे शब्दों, जो कि पुरानी लेखा प्रणाली अर्थात् कुकी जार अकाउंटिंग के लिए मृदु भाषी शब्द बन गया था, का उपयोग करके स्पेनिश बैंकों ने पिछले लाभ को कम दिखाया और भावी हानियों को छुपाने के लिए बाद की अवधि के दौरान उनका उपयोग किया। स्पेनिश बैंकों का अधिशेष रिजर्व खाली होने के बाद भी वे कहते रहे कि उनके पास-अधिशेष रिजर्व है और जिसका परिणाम यह हुआ कि वहां लाभ और अर्जन का प्रबंधन था जिससे स्थिति दिखने में ठीक लगती थी जबकि वास्तविकता इसके विपरीत थी।

61. स्पेनिश मामले से स्पष्ट हो जाता है कि अर्थव्यवस्था के जोखिम वाले क्षेत्रों को बैंकों द्वारा अधिक ऋण देने से होने वाले जोखिम को रोकने के लिए किसी भी प्रावधानीकरण ढांचे की अपनी सीमाएं हैं। यदि जोखिम का कम अनुमान क्रमिक रूप से होता है तो अर्थिक चक्र विवेकसम्मत नियमों के प्रभाव को किसी सीमा तक रोकने में समर्थ हो सकता है। जहां ऋण हानियों की आंशिक पहचान कभी-कभी अल्पावधि में ठीक दिख सकती है, किन्तु दीर्घावधि में विश्वसनीयता समाप्त होने के कारण यह अधिक गंभीर होती है। स्पेन के विशेष संदर्भ के साथ एक बार फिर से, ऋण हानि रिजर्व आवास क्षेत्र की गिरावट के संदर्भ से पर्याप्त साबित नहीं हुआ। खबरों के अनुसार 2004 में स्पेनिश सेन्ट्रल बैंक ने बैंकों के दबाव में सामान्य प्रावधानों पर 125 प्रतिशत की उच्चतम सीमा रख दी और 2004 में ही 33 प्रतिशत की रखी गई न्यूनतम सीमा को बाद में हटा दिया। उसके बाद से स्पेनिश बैंक के ऋण जो पहले ही वार्षिक आधार पर 14 प्रतिशत बढ़ रहे

थे, उनमें और वृद्धि हुई और 2005 और 2006 में यह वृद्धि बढ़कर 25 प्रतिशत हो गई। जब संकट आया तो उनका रिजर्व पर्याप्त नहीं साबित हुआ। इससे इस विश्वास को और अधिक बल मिलता है कि आर्थिक चक्र जो पहले की तुलना अधिक गंभीर और गहरा है, पूर्व चक्र के आधार पर किए गए प्रावधानों को समाप्त कर सकता है।

62. इसे नोट किया जाना चाहिए कि गतिशील प्रावधान वित्तीय प्रणाली की सभी खराब स्थितियों का समाधान नहीं है। अनुचक्रीय और प्रणालीगत जोखिम के समाधान के लिए इसके साथ अन्य समष्टि-विवेकसम्मत उपाय किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, गतिशील प्रावधानों का निर्धारण करते समय प्रत्याशित हानियों के समकक्ष प्रतिचक्रीय रिजर्व रखने की आवश्यकता पर ध्यान देना होगा ताकि अपर्याप्त बफर और अत्यधिक प्रावधान कवरेज - दोनों से बचा जा सके। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यदि चक्र में हानि प्रत्याशा की तुलना में बहुत अधिक हो गयी तो गतिशील प्रावधान मंदी के सभी प्रकार की ऋण हानियों का सामना कर लेंगे।

निष्कर्ष

63. स्पेन का संकट गतिशील प्रावधानीकरण की अवधारणा की कुशलता को कमजोर नहीं कर सकता। गतिशील प्रावधानीकरण ऐसा उपाय है जिस पर नीति-निर्माताओं और विनियामकों को ध्यान देना ही होगा क्योंकि यह ऋण चक्र में से ऋण हानियों को समान रूप बांटता है और बैंकिंग की अनुचक्रीयता के महत्वपूर्ण स्रोत पर रोक लगता है। यदि कापॉरेट गवर्नेंस विफल हो जाए तो कोई भी विवेकसम्मत नियम और विनियामक किसी बैंकिंग प्रणाली को बचाने में मदद नहीं कर सकता। स्पेनिश मॉडल में पाई गई कमियों से बचने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रत्याशित हानियों या अल्पकालीन निर्धारण करने के लिए गिरावटयुक्त एलजीडी को अपनाया है। यह विवेकसम्मत दृष्टिकोण है।

64. अब मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। हमने प्रावधानीकरण की आवश्यकता; घटित हानि आधारित प्रावधानीकरण मॉडल की कमियां; संकट के बाद, प्रत्याशित हानियों पर आधारित प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण उपाय की आवश्यकता; गतिशील प्रावधानीकरण की उपलब्ध अवधारणा और सिद्धांत; स्पेन में कार्यान्वित ढांचा; और भारत में प्रस्तावित ढांचे; कार्यान्वयन के मुद्दे और स्पेन में हाल के संकट से ली गई सीख के बारे में चर्चा की है।

65. ऋण देते समय चक्र के प्रारंभ में ही हानियों की पहचान करके गतिशील या प्रत्याशित ऋण हानि प्रावधानीकरण प्रणाली वित्तीय स्थिरता में योगदान दे सकती है, क्योंकि इस प्रणाली में बेहतर स्थिति में बफर तैयार किया जाता है और इस बफर का इस्तेमाल खराब समय में किया जाता है जिससे गिरावट के दौरान दुष्परिणामों को कम

भाषण

गतिशील प्रावधानीकरण की अंतर्निहित
अवधारणाएं और सिद्धांत

किया जा सकता है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि गतिशील प्रावधान मंदी की सभी प्रकार की ऋण हानियों का सामना करने के लिए पर्याप्त होंगे और इसलिए, हो सकता है कि ये स्वयं ऋण चक्र का सामना न कर पाए, किंतु यह भावी प्रावधानों का निर्धारण करने का सही

समय है क्योंकि ये प्रावधान बैंकों के तुलन-पत्र के जोखिम को रोकने के लिए विश्वसनीय समष्टि-विवेकसम्मत नीति लिखित के रूप में कार्य कर सकते हैं जिससे प्रत्येक बैंक और संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली - दोनों की आघात सहनीयता बढ़ेगी।